रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 15 मई, 1990/25 बैशाख, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 15 मई, 1990

संख्या 1-56/90-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1973 के नियम. 136 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 (1990 का

1329-राजपत्र/90-15-5-90—1,112. (1103) मूल्य : 1 रुपया।

विधेयक संख्यांक 4) जो दिनांक 15-5-1990 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

लक्ष्मण सिंह,
सचिव ।

1990 का विधेयक संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का 13) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1990 है ।

(2) यह अधिनियम मई, 1990 के चतुर्थ दिन से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का 13) की धारा 3 के अन्त में आए चिह्न "." के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"Provided that wherever it is expedient to do so in the public interest, the period of three years may be extended by the State Government by a period not exceeding four months."

निरसन और व्यावृत्तियां ।

3. (1) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन वैसे ही की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम, उस दिन जब ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी, प्रवृत्त हो गया था ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 2 द्वारा यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार तीन वर्ष की अवधि के भीतर ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाना अपेक्षित था, जिस द्वारा ग्राम सभा क्षेत्र के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या को पांच सौ से एक हजार तक बढ़ाया गया है । पुनरीक्षित उपबन्धों के अधीन ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूर्वोक्त तीन वर्ष की समय परिसीमा के भीतर पूर्ण नहीं हो सकी । इस समय परिसीमा, जिसका अवसान 7 मई, 1990 को होना था, के विस्तारण के लिए राज्य सरकार को समर्थ बनाने के लिए अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं था । अतः अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करना आवश्यक हो गया ।

चूंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 3 में तुरन्त संशोधन करना पड़ा था इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने 4 मई, 1990 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1) प्रख्यापित किया जो राजपत्र, (असाधारण) हिमाचल प्रदेश तारीख 4 मई, 1990 में प्रकाशित किया गया । उक्त अध्यादेश को अब नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है ।

क्योंकि लोक प्रस्ताव प्राप्त करने की अवधि 30 मई, 1990 को समाप्त हो जाएगी और ग्राम सभा क्षत्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को अन्तिम रूप देने के लिए कुछ और समय लगेगा, इसलिए उक्त अध्यादेश में लघु परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को, लघु परिवर्तन सहित प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

साधु राम,
प्रभारी मन्त्री ।

शिमला :
15 मई, 1990.

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान के लिए ज्ञापन

—शून्य—

उन परिस्थितियों का कथन जिनके कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का 1) में परिवर्तन करना आवश्यक हुआ

1990 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 के उपबन्धों के अधीन ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया 7 अगस्त, 1990 से पूर्व पूर्ण की जानी अपेक्षित है । ग्राम पंचायत निचले स्तर से लोकतान्त्रिक संस्था है । इसके पुनर्गठन की प्रक्रिया को बार-बार दोहराया नहीं जाना चाहिए । अतः कई कारणों जैसे कि प्रशासनिक और लोक सुविधाएं, क्षेत्र की जीवन क्षमता और भोगौलिक अवस्थिति इत्यादि को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक हो गया है । ग्राम सभा क्षेत्रों के इस पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों का पर्याप्त परीक्षण किया जाना अपेक्षित है और इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए पर्याप्त समय लगेगा ।

अतः उक्त अध्यादेश में यथा उपबन्धित तीन वर्ष की अवधि को तीन मास के बदले चार मास बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करना आवश्यक हो गया है ।

Bill No. 4 of 1990.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (SECOND AMENDMENT) BILL, 1990

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 1987 (Act No. 13 of 1987).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 1990.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 4th day of May, 1990.

Amendment of section 3.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 1987, for the sign "." occurring at the end, the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that wherever it is expedient to do so in the public interest, the period of three years may be extended by the State Government by a period not exceeding four months."

Repeal and savings.

3. (1) The Himachal Pradesh Panchayati Raj (Second Amendment) Ordinance, 1990 is hereby, repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if this Act had come into force on the day on which such thing was done or action was taken.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 3 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 1987, the Gram Sabha areas were required to be reconstituted within a period of three years in accordance with the provisions of section 4 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 (19 of 1970) as amended *vide* section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 1987, whereby minimum population for constitution of a Gram Sabha area has been increased from 500 to 1000. The process of reconstitution of Gram Sabha areas under the revised provisions could not be completed within the aforesaid time limit of three years. There was no provision in the Act enabling the State Government to extend this time limit, which was to expire on the 7th May, 1990. Thus it has become necessary to make suitable amendments in the Act.

Since the Legislative Assembly was not in session and the amendments in section 3 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 1987 had to be made urgently, the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Second Amendment) Ordinance, 1990 (H.P. Ordinance No.1 of 1990) was promulgated under Clause (1) of Article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 4th May, 1990 and was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary), dated 4-5-1990. The said Ordinance is now required to be replaced by a regular enactment.

As the period for the receipt of public proposals is to expire on the 30th May, 1990, the process of finalisation of the constitution of Gram Sabha areas may consume some more time. It has become necessary to make minor modification in the aforesaid Ordinance.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance with minor modification.

SHIMLA:
The 15th May, 1990.

SADHU RAM,
Minister-in-charge.

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

STATEMENT EXPLAINING CIRCUMSTANCES WHICH NECESSITATED MODIFICATION IN THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 1990 (NO. 1 OF 1990)

Under the provisions of the Himachal Pradesh Ordinance No. 1 of 1990, the process of reconstitution of Gram Sabha areas is required to be completed before the 7th August, 1990. The Gram Panchayat is a grass root democratic institution. The process of its reconstitution should not be resorted to time and again. Thus it is necessary that the Gram Sabha areas be constituted, after having stock of so many factors such as administrative and public conveniences, viability and geographical location of the area etc. In view of this, reconstitution of Gram Sabha areas requires very thorough examination of the proposals. This may consume more time to complete this process.

Hence it has become necessary to empower the State Government to extend the period of three years by a further period of four months instead of three months, as provided in the said Ordinance.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।